फाइल संख्या-71-1006(001)/29/2021

137/2021/I/114885/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ :दिनॉक 18 नवम्बर, 2021

विषयः- मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय परिसर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नवनिर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक (भवन) में विभागीय/चिकित्सकीय कार्यो के सम्पादन/ई-हास्पिटल व्यवस्था कराये जाने हेतु कम्प्यूटर सिस्टम (टी0एफ0टी0/यू0पी0एस0/सी0पी0यू0/प्रिन्टर सहित) हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के पत्र संख्या-6456/पी0एम0एस0एस0वाई0/2021, दिनॉक 10-10-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय परिसर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नवनिर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक (भवन) में विभागीय/चिकित्सकीय कार्यो के सम्पादन/ई-हास्पिटल व्यवस्था हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार कम्प्यूटर सिस्टम (टी0एफ0टी0/यू0पी0एस0/सी0पी0यू0/प्रिन्टर सहित) के क्रय हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 6,84,00,000/- के सापेक्ष रू0 3,42,00,000/- (रू0 तीन करोड़ बयालिस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों में हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना हेतु मानक मद-46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख से निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानों का पालन करते हुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही कम्प्यूटर का क्रय किया जाये।

4- कम्प्यूटर की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

5- कम्प्यूटर के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- कम्प्यूटर का क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि कम्प्यूटर के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016, दिनॉक 23.08.2017 एवं शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2 (एस0पी0) /2017, दिनॉक 15.01.2018 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- पारदर्शी प्रक्रिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।

10- सुसंगत नियमों व पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यक कम्प्यूटर क्रय किये जाये। इस संबंध में समस्त प्रकार की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की होगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में हास्पिटल मैनेजमेण्ट सिस्टम की स्थापना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021] दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-

क्र0	विभाग का नाम	उपकरण	मात्रा
1	समस्त चिकित्सा शिक्षकों के कक्षों हेतु (कुल 98 चिकित्सा शिक्षक)	कम्प्यूटर सिस्टम (टी0एफ0टी0/यू0पी0एस0/सी0पी0यू0/ प्रिन्टर सहित)	98 नग
2	समस्त विभागीय कार्यालय/स्टोर/वार्ड (पुरूष एवं महिला)/ओ0टी0/आई0सी0यू0 हेतु	-- तदैव --	66 नग
3	समस्त विभागीय कार्यालय हेतु (प्रति विभाग 02 X 11 नग)	-- तदैव --	22 नग
4	समस्त विभाग के पुरूष वार्ड हेतु (प्रति विभाग 01 X 11 नग)	-- तदैव --	11 नग
5	समस्त विभाग के महिला वार्ड हेतु (प्रति विभाग 01 X 11 नग)	-- तदैव --	11 नग
6	समस्त विभाग के आई0सी0यू0 हेतु (प्रति विभाग 01 X 6 नग)	-- तदैव --	06 नग
7	आई0सी0यू0 के स्टोर हेतु	-- तदैव --	01 नग
8	समस्त विभागीय स्टोर हेतु (प्रति विभाग 01 X 11 नग)	-- तदैव --	11 नग
9	निदेशक (डायरेक्टर) कक्ष हेतु	-- तदैव --	01 नग
10	ओ0टी0 के प्री-आपरेटिव वार्ड हेतु	-- तदैव --	01 नग
11	ओ0टी0 के पोस्ट-आपरेटिव वार्ड हेतु	-- तदैव --	01 नग
12	ओ0टी0 के डाक्टर्स रूम हेतु	-- तदैव --	01 नग
13	ओ 0 टी 0 सिस्टर इंचार्ज हेतु	-- तदैव --	01 नग
14	ओ0टी0 स्टोर रूम हेतु	-- तदैव --	01 नग
15	निर्मित 08 ओटीज हेतु	-- तदैव --	08 नग
16	रिसेप्शन हेतु	-- तदैव --	05 नग
17	सी0एस0एस0डी0	-- तदैव --	01 नग
18	डिस्पेन्सरी (फार्मेसी)	-- तदैव --	02 नग
19	अधिष्ठान कार्यालय	-- तदैव --	10 नग
20	मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट कक्ष हेतु	-- तदैव --	01 नग
21	मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट कार्यालय	-- तदैव --	10 नग
22	नर्सिंग सुपरिन्टेण्डेन्ट कार्यालय	-- तदैव --	03 नग
23	मेडिकल रिकार्ड सेक्शन	-- तदैव --	03 नग
24	हाउसकीपिंग सर्विसेस	-- तदैव --	01 नग
25	क्रय विभाग	-- तदैव --	03 नग
26	सेन्ट्रल स्टोर	-- तदैव --	02 नग
27	लेखा अनुभाग	-- तदैव --	04 नग
28	सेन्ट्रल मेण्टेन्स विभाग	-- तदैव --	02 नग
29	एम0जी0पी0एस0	-- तदैव --	01 नग
30	एजूकेटर काउन्सलर हेतु	-- तदैव --	01 नग
31	इन्टरनेट संचालन विभाग	-- तदैव --	02 नग
32	फोटोग्राफी विभाग	-- तदैव --	02 नग
33	बायोमेडिकल विभाग	-- तदैव --	01 नग
34	विधि (लीगल) अनुभाग हेतु	-- तदैव --	02 नग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

35	जनसम्पर्क विभाग हेतु	-- तदैव --	02 नग
36	भूतल पर कम्प्यूटर संचालन एवं डाटा फीडिंग हेतु	-- तदैव --	04 नग
37	पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) विभाग	-- तदैव --	05 नग
38	पैथालाजी (सैम्पल कलेक्शन) विभाग	-- तदैव --	02 नग
39	विभागों की ओ0पी0डी0 संचालन हेतु (प्रति विभाग 06 X 11 नग)	-- तदैव --	66 नग
40	अन्य स्थानों पर आवश्यकतानुसार आधिक्य कम्प्यूटर (जैसे कि पठन पाठन कार्य , विभागीय लाइब्रेरी , विभागों में स्थापित स्किल लैब या अन्य स्थानों हेतु)	-- तदैव --	40 नग
		कुल	415 नग

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।